19
अध्याय

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

19-1 fgUnh dk çxkeh ç;ksx

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्व्यन के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य राजभाषा के प्रभारी संयुक्त सचिव के पर्यवेक्षण में होता है। निदेशक (राजभाषा) के अधीन एक राजभाषा प्रभाग हैं जो संयुक्त सचिव को रिपोर्ट करते हैं।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार हैः–

19-2 jkt Hkk"kk vf/kfu;e dh /kkjk 3¼3½ dk dk;kUo;u

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। जांच–बिन्दुओं के आधार पर राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य–योजना बनाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों/निदेशों को इस मंत्रालय के सभी अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को सूचनार्थ अग्रेषित किया गया और इनका अनुपालन करने के लिए निदेश जारी किए गए।

19-3 foHkkxh; jkt Hkk"kk dk;kUo;u lfefr ¼vk-,y-vkb-lh-½

मंत्रालय में राजभाषा प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है, जिसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। यह समिति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने और मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों में संघ की राजभाषा नीति के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए कार्य–नीतियों की जांच करती है। यह समिति समय–समय पर राजभाषा (हिन्दी) के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करती है और समुचित सुझाव देती है तथा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करती है। मंत्रालय के अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निदेश दिए गए हैं।

19-4 fgUnh i[kokM+k

मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में 01 से 15 सितम्बर, 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी टंकण, हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण, हिन्दी सामान्यत ज्ञान हिन्दी श्रुतलेखन तथा स्वरचित कविता पाठ की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 51 नकद पुरस्कार तथा प्रमाण–पत्र दिए जा रहे हैं।

19-5 jkt Hkk"kk lEesyu@jkt Hkk"kk lxk"Bh

मंत्रालय ने भारत संघ की राजभाषा नीति का प्रचार–प्रसार करने और इसके प्रयोग के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में वार्षिक रूप से राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने की नई पहल की है। इस पहल के अंतर्गत अब तक चार सम्मेलन क्रमशः बैंगलोर, कुन्नूर, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम में आयोजित किए जा चुके हैं। सम्मेलन में प्रतिभागियों को प्रशस्ति–पत्र और प्रमाण–पत्र भी दिए गए। सभी सम्मेलन अत्यधिक सफल रहे और इनकी सभी के द्वारा सराहना की गई।

19-6 e=ky; dh fgUnh osclkbV

इस वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट हिंदी में शुरू की गई। सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) महोदय के निर्देशानुसार वेबसाइट में समस्ती सामग्री को अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में अर्थात् अंग्रेजी और हिंदी में अपलोड किया जा रहा है। वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन भी बनाया जा रहा है।

19-7 çfrfnu ,d 'kCn

मंत्रालय में पिछले कई वर्षों से Þçfrfnu ,d 'kCnß नामक योजना चलाई जा रही है जो वर्ष के दौरान भी जारी रही। इस योजना के अंतर्गत विभाग के प्रथम तल और तृतीय तल, 'ए' विंग, निर्माण भवन में लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर प्रतिदिन एक हिंदी शब्द /वाक्यांश के साथ उसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द/वाक्यांश प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः ये शब्द/वाक्यांश प्रशासनिक व तकनीकी प्रकृति के होते हैं जिनका उपयोग प्रतिदिन सार्वजनिक कामकाज में किया जाता है।

19-8 fgUnh dk;'kkyk dk vk;kstu

मंत्रालय में 28–29 सितंबर, 2015 के दौरान एक दो–दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों को (1) संघ सरकार की राजभाषा नीति, (2) टिप्पण एवं प्रारूप, (3) कंप्यूटर पर यूनिकोड का प्रयोग आदि की जानकारी दी गई।

19-9 fgUnh dh çxkeh ç;ksx ls lacf/kr fujh{k.k

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों ने नोएडा, कन्नूर, चंडीगढ़, कसौली और शिमला स्थित अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 05 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया।